अध्याय – 4
वाहनों पर कर

अध्याय–4

वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है। चालक अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर एक अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है। मैदानी स्तर पर 10 संभागीय परिवहन उपायुक्त, 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.), 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) एवं 30 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) है। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) विभाग के कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं।

वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन किया जाता है :

- मोटरयान अधिनियम, 1988 ;
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 ;
- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम) 1991, तथा
- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम (नियम), 1991

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014–15 के दौरान वाहनों पर कर से संबंधित 51 में से 24 इकाईयों (क्षे.प.का. –10, अ.क्षे.प.का.–5 एवं जि.प.का.–9) जिसमें ₹ 356.51 करोड़ का कुल राजस्व अन्तर्निहित था, की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 20.02 करोड़ के 3,30,743 प्रकरण प्रकट हुए, जो तालिका 4.1 में निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं :–

तालिका 4.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	16,800	11.68
2.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,057	3.44
3.	मैक्सी कैब वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	641	2.11
4.	अन्य	3,12,245	2.79
	योग	**3,30,743**	**20.02**

वर्ष के दौरान विभाग ने 1,60,454 प्रकरणों में ₹ 6.01 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य प्रकार की कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 157 प्रकरणों में ₹ 12.96 लाख की राशि वसूल की गई।

उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रकरणों जिसमें ₹ 9.48 करोड़ की राशि सन्निहित है, कि

चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

4.3 लोक सेवा वाहनों की बैठक क्षमता के गलत निर्धारण से कम कर का आरोपण

मोटरयान जिनका व्हील बेस 3800 मि.मी., 4200 मि.मी. एवं 5639 मि.मी. है, को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित बैठक क्षमता की तुलना में कम बैठक क्षमता के लिये पंजीकृत किया गया जिसके कारण ₹ 29.92 लाख के कम कर का आरोपण हुआ।

हमने (जुलाई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य) 10 कार्यालयों[1] के कम्प्यूटर डाटा बेस एवं पंजीकरण अभिलेखों की जाँच की और पाया कि मॉडल टाटा एल.पी.1109/42 जिसका व्हील बेस 4200 मि.मी. है, मॉडल टाटा एल.पी.709/38 जिसका व्हील बेस 3800 मि.मी. तथा मॉडल अशोक लीलैण्ड ए.एल.पी.एस.वी.3/41 तथा 4/94 जिसका की व्हील बेस 5639 मि.मी. है (माह जुलाई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य) के 57 वाहनों को कम बैठक क्षमता के लिये पंजीकृत किया गया था।

यह म.प्र. मोटरयान कर नियम 1994 के नियम 158 (3) एवं परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक 31 मई 2005 को जारी निर्देशों के विरूद्ध था। इस प्रकार वाहनो को उनकी बैठक क्षमता के 2 से 14 सीट कम बैठक क्षमता में पंजीकृत करने के कारण ₹ 29.92 लाख के कम कर का आरोपण हुआ।

यह इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जाँच करने के उपरांत लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

हमने प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को मई 2015 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

4.4 वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

आरक्षित वाहनों के रूप में रखे गये 349 लोकसेवा यानों, 582 मालयानों, 134 मैक्सी कैब/टैक्सी कैब, 525 अर्थमूवर/हार्वेटर तथा 8 मंजिली गाडियों पर यानकर ₹ 4.56 करोड़ एवं शास्ति ₹ 2.57 करोड़ का भुगतान न तो यान स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों ने उसकी मांग की।

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 3 (1) के अनुसार प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जायेगा। कर का भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा–13 के अनुसार शास्ति भी आरोपित होगी।

हमने (मई 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य) 23 परिवहन कार्यालयों के मांग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी, वाहन जमा पंजी तथा कम्प्यूटर डाटाबेस की नमूना जाँच की और पाया कि 11,832 वाहनों (माह अप्रैल 2011 एवं मार्च 2014 के मध्य) में से 1,598 वाहनों पर कर की राशि ` 4.56 करोड़ का भुगतान, न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी माँग की गयी । अधिनियम की धारा–13 के अनुसार कर के विलम्ब से भुगतान के लिए ` 2.57 करोड की शास्ति आरोपणीय थी, जो आरापित नहीं की गई। परिणामस्वरूप ` 7.13 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। विवरण **तालिका 4.2** में नीचे दर्शाया गया है।

[1] क्षे.प.का.–भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, सागर एवं उज्जैन, अ.क्षे.प.का.–खण्डवा, जि.प.का.– बालाघाट, भिंड तथा मण्डला.

तालिका 4.2

(लाख में)

वाहनों के प्रकार/वाहनों की संख्या	शामिल कार्यालयों की संख्या	कर जो वसूली नहीं गयी	कर न भुगतान करने पर शास्ति	वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना
लोक सेवायान 349	9 क्षे.प.का. 2 अ.क्षे.प.का. 8 जि.प.का. योग 19 कार्यालय[2]	218.00	103.00	321.00
माल यान 582	8 क्षे.प.का. 4 अ.क्षे.प.का. 7 जि.प.का. योग 19 कार्यालय[3]	108.00	65.54	173.54
मैक्सी कैब/टैक्सी कैब 134	1 क्षे.प.का. 4 अ.क्षे.प.का. 1 जि.प.का. योग 06 कार्यालय[4]	19.76	15.37	35.13
अर्थ मूवर्स/हार्वेस्टर 525	9 क्षे.प.का. 4 अ.क्षे.प.का. 6 जि.प.का. योग 19 कार्यालय[5]	102.00	68.51	170.51
मंजिली गाड़ी 8	2 क्षे.प.का. 2 अ.क्षे.प.का. योग 04 कार्यालय[6]	8.36	4.44	12.80
योग		**456.12**	**256.86**	**712.98**

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कराधान अधिकारियों ने (मई 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य) बताया कि बकाया करों की वसूली के लिए सूचना पत्र जारी किये जायेंगे/प्रकरणों में परीक्षण उपरांत वसूली की जावेगी।

हमने प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को मई 2015 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (नवम्बर 2015)।

4.5 व्यापार शुल्क की वसूली न होना/कम वसूली होने के परिणामस्वरुप राजस्व की प्राप्ति/कम प्राप्ति होना

अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के बीच पंजीकृत 2,17,408 दोपहिया वाहानों तथा 57,361 चार पहिया वाहनों पर व्यापार शुल्क की राशि ₹ 2.06 करोड़ (प्रति मोटरसाइकिल ₹ 50 तथा अन्य के लिए प्रतिवाहन ₹ 200 की दर से) वसूलने में विभाग असमर्थ रहा।

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39 के तहत कोई भी व्यक्ति वाहन को सार्वजनिक स्थल पर तब तक नहीं चला रूकेगा जब तक वह पंजीकृत न हो। परन्तु केन्द्रीय

---

2 क्षे.प.का. – भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर, शहडोल एवं उज्जैनय अ.क्षे.प.का. – खण्डवा एवं मंदसौरय जि.प.का. – बालाघाट, भिण्ड, बुरहानपुर, दतिया, मण्डला, राजगढ़, श्योपुर एवं टीकमगढ़

3 क्षे.प.का. – ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर एवं उज्जैनय अ.क्षे.प.का. –छतरपुर, खण्डवा, खरगौन एवं मंदसौर जि.प.का. – अलिराजपुर, बालाघाट, भिण्ड, बुरहानपुर, मण्डला, श्योपुर एवं टीकमगढ़

4 क्षे.प.का. – होशंगाबाद, अ. क्षे. प. क. – खण्डवा, खरगौन, मंदसौर एवं छतरपुर, जि.प.क. अलिराजपुर

5 क्षे.प.का. – भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर एवं उज्जैनय अ.क्षे.प. का. – छतरपुर, खण्डवा, खरगौन एवं मंदसौरय जि.प.का. – अलिराजपुर, बालाघाट, भिण्ड, बुरहानपुर, मण्डला एवं श्योपुर

6 क्षे.प.का. – होशंगाबाद एवं उज्जैन, अ.क्षे.प.क – खण्डवा एवं खरगौन

मोटरयान नियम 1989 के नियम 33 के अनुसार पंजीकृत व्यवसायी को पंजीकरण की आवश्यकता से इन शर्तो पर छूट प्रदान की गई है कि यदि वह नियम 34 में दर्शाये प्रपत्र 16 मे व्यापार प्रमाण पत्र दिये जाने या उसके नवीनीकरण हेतु नियम 81 में दिये गये प्रति वाहन हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करे। व्यापार शुल्क वसूली हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा भी इस संबंध में नियमानुसार व्यापार शुल्क वसूलने हेतु एक आदेश (27 जनवरी 2012) जारी किया गया है। विभाग यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि वास्तव में कितने वाहन बेचे गये थे जिनके लिए व्यापार प्रमाणपत्र जारी किये गये और व्यापार शुल्क की सही राशि वसूल की गई।

हमने (जून 2014 से मार्च 2015 के मध्य) 12 कार्यालयों[7] के वाहन पंजीकरण डाटा तथा व्यापार पंजीकरण प्रमाण–पत्र/व्यापार शुल्क पंजी के जांच में पाया कि (अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के मध्य) 2,19,975 दोपहिया वाहन तथा 58,830 चार पहिया वाहन पंजीकृत थे।

उपरोक्त आदेश के विरूद्ध यह देखा गया कि व्यापार शुल्क केवल 12,567 दोपहिया वाहनों तथा 1,469 चार पहिया वाहनों पर ही वसूला गया। विभाग द्वारा ₹ 2.10 करोड़ व्यापार शुल्क के विरूद्ध मात्र ₹ 4.22 लाख व्यापार शुल्क वसूला गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.06 करोड़ के व्यापार शुल्क की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा (जुलाई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य) इंगित किये जाने पर पाँच कराधान प्राधिकारियों[8] ने बताया कि वसूली हेतु संबंधित व्यवसायियों को नोटिस जारी किये जा रहे है। कराधान प्राधिकारी मंडला एवं मंदसौर (जुलाई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य) ने बताया कि परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। कराधान प्राधिकारी बुरहानपुर तथा टीकमगढ़ ने बताया कि मुख्यालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के उपरांत वसूली की जायेगी। कराधान प्राधिकारी रीवा तथा सिवनी ने बताया कि नियम 81 के अंतर्गत व्यापार शुल्क केवल व्यापार प्रमाण–पत्र के लिए है न कि वाहनों के विक्रय से संबंधित है। अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छतरपुर ने बताया कि वसूली के उपरांत लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

हम कराधान प्राधिकारी रीवा तथा सिवनी के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 27 जनवरी 2012 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसके अनुसार व्यवसायी द्वारा विक्रय हेतु रखे गये प्रत्येक वाहन पर व्यापार शुल्क प्रभारणीय है जो बाद में बेचे तथा पंजीकृत किये जाते हैं।

हमने प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को मई 2015 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

4.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी संगठन को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना 1992 में परिवहन आयुक्त के सीधे नियंत्रण में की गई थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाही करने हेतु अनुदेश जारी करने के उद्देश्य के साथ संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त) के पर्यवेक्षण में निष्पादित की जा रही है।

---

7 क्षे.प.का. – जबलपुर, रीवा तथा सागर, अ.क्षे.प.का. छतरपुर, खण्डवा, मंदसौर, सिवनीय जि.प.का – बालाघाट, भिण्ड, बुरहानपुर, मण्डला तथा टीकमगढ़

8 क्षे.प.का. – जबलपुर तथा सागर, अ.क्षे.प.का. खण्डवाय जि.प.का. – बालाघाट तथा भिण्ड

वर्ष 2014–15 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 35 इकाईयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरूद्ध केवल पाँच इकाईयों की लेखापरीक्षा निष्पादित की गई। विभाग द्वारा बताया गया कि विभागीय स्टॉफ निकाय एवं ग्राम पंचायत चुनाव में संलग्न होने के कारण 30 इकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा ग्वालियर में है एवं चुनाव प्रक्रिया सामान्यतः 30 दिन में पूरी हो जाती है अतः शेष अवधि में आन्तरिक लेखा परीक्षा पूर्ण की जा सकती थी । केवल पाँच इकाईयों की लेखापरीक्षा यह दर्शाता है कि विभाग के पास सभी इकाईयों की लेखापरीक्षा हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है । विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।